

(12)

4. Head of the Office, Head Quarters Office —Member
Soil and Land Use Survey of India

[F. No. 16-4/2012-NRM-II]

PRADEEPSRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (फील्ड ऑफिसर) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, के अधीन भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में फील्ड ऑफिसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (फील्ड ऑफिसर) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फील्ड ऑफिसर	14* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
(10)			(11)		
प्रोन्नति द्वारा			<p>प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में ऐसे सहायक फील्ड ऑफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मृदा विज्ञान या कृषि रसायन में एमएससी या एमएससी (कृषि) और साथ ही मृदा विज्ञान में विशेषता हो तथा फील्ड ऑफिसर के पद से संबद्ध कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण 1- इन नियमों की तारीख को नियमित आधार पर सहायक फील्ड ऑफिसर का पद धारण करने वाले पदधारियों को मृदा विज्ञान या कृषि रसायन में एमएससी या एमएससी (कृषि) और साथ ही मृदा विज्ञान में विशेषज्ञता रखने की उपेक्षा से छूट प्राप्त होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें</p>		

(11)

से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 - प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- | | |
|--|----------|
| 1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण | —अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग | —सदस्य |
| 3. भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण के किसी केंद्र के कार्यालय प्रमुख | —सदस्य |

[फा. सं. 16-5/2013-एन.आर.एम.-II]

प्रदीप श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 2015

G.S.R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey (Field Officer) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Officer in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Field Officer) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.— The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Field Officer	14* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, (Rs.9300—34800) plus Grade Pay of Rs. 4600.	Selection	Not applicable
Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	Not applicable	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
--	---

(10)

(11)

By Promotion

Promotion :—

Assistant Field Officer in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4200 with five year's regular service in the grade and possessing M. Sc. in Soil Science or Agricultural Chemistry or M.Sc. (Agriculture) with specialisation in Soil Science from a recognised university or institute and have successfully completed two weeks' training in the area of duties and responsibilities attached to the post of Field Officer.

Note 1: Existing incumbents holding the post of Assistant Field Officer on regular basis on the date of these rules will be exempted from the requirement of possessing the educational qualification of M.Sc. in Soil Science or Agricultural Chemistry or M.Sc. (Agriculture) with specialisation in Soil Science.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment.

(12)

(13)

Group "B" Departmental Promotion Committee—

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Chief Soil Survey Officer of Soil and Land Use Survey of India

—Chairman

(12)

- | | |
|--|---------|
| 2. Under Secretary of Natural Resource Management Division, Department of Agriculture and Cooperation, | —Member |
| 3. Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India | —Member |

[F. No. 16-5/2013-NRM-II]

PRADEEPSRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन (कंप्यूटर प्रोग्रामर) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, में ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।